BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXV | 3rd September 2014 | No. 13

चैम्बर के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डी. पी. लोहिया एवं भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री डी. एन. बरेरिया का निधन

डी० पी० लोहिया
पूर्व अध्यक्ष

16 अगस्त, 2014 चैम्बर के इतिहास में एक अत्यंत दुखद दिन साबित हुआ। इसी दिन चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया का पटना के पारस अस्पताल में देहावसान हो गया। उसी दिन चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री डी० एन० बरेरिया का पटना के निजी नर्सिंग होम में देहान्त हुआ। दो-दो महत्वपूर्ण सदस्यों के निधन के समाचार से चैम्बर के सदस्यों को मर्मान्तक पीड़ा हुई ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय डी० पी० लोहिया जी सत्र 1997-98 एवं 1998-99 में चैम्बर के अध्यक्ष पद पर रहकर चैम्बर के लिए अपनी जो बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की वो चैम्बर के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों मे अंकित रहेगी। वे राजीव कमल ग्रुप के संस्थापक थे। वे चैम्बर सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय थे एवं वैट के मामलों में अपनी गहरी जानकारी एवं पैठ के कारण एक यादगार व्यक्तित्व के रूप में चैम्बर सदस्यों के दिलों में हमेशा बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी एवं सच्चाई में व्यतीत हुआ। स्व० लोहिया जी अनेक सामाजिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं से गहरे रूप से जुड़े थे तथा उनका जीवन मानवता एवं सामाजिक सेवा के लिए समर्पित रहा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने स्वर्गीय बरेरिया जी के प्रति अपने शोक संदेश में कहा कि वे सत्र 1987-88 एवं 1988-89 में चैम्बर के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए उद्योग एवं व्यवसाय जगत के लिए अपनी यादगार सेवाएं प्रदान की। वे एक जाने-माने उद्योगपति और राज्य के प्रथम सुविख्यात लकी बिस्कुट कंपनी के संस्थापक थे। वे अपनी कर्त्तव्यपरायणता, सेवाभाव, मृदुभाषी व्यक्तित्व तथा मिलनसार प्रवृति के कारण चैम्बर सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय थे। वे अनेक व्यवसायिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और उनका जीवन भी मानवता एवं सामाजिक सेवा के लिए सदैव समर्पित रहा।

उपरोक्त दोनों घटनाओं से मर्माहत चैम्बर में दिनांक 18 अगस्त को संध्या 5 बजे एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित हुए एवं इनके चित्रों पर माल्यापर्ण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

अपनी श्रद्धांजलि देते हुए चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने कहा कि दो अति महत्वपूर्ण सदस्य हमलोगों के बीच नहीं रहे। स्व० बरेरिया जी बड़े उद्योगपति थे तथा अपने व्यापक व्यापार को बड़े ही संतुलित ढंग से चला रहे थे। उन्होंने कभी अपना बड़प्पन जाहिर नहीं होने दिया। स्वर्गीय लोहिया जी चैम्बर के पार्ट एण्ड पार्सल एवं अद्वितीय थे। संवैधाानिक मसलों मे उनकी गहरी पैठ थी और जो भी काम उन्हें सौंपा गया उसको उन्होंने पूरी सफलता से और ससमय करके दिया, वे हमलोंगो के बीच से बड़ी जल्दी चले गये। उन्होंने कहा कि इन दोनो रिक्त स्थानों को भरा जाना अत्यंत कठिन है।

डी० एन० बरेरिया
पूर्व उपाध्यक्ष

पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा की दोनो ही बिहार के उद्योग एवं व्यापार के दो मजबूत स्तंभ थे जिनका चैम्बर एवं बी०आई०ए० दोनों को बनाने में बड़ा ही अतुलनीय योगदान था। श्री साह ने कहा कि उन्होंने बरेरिया जी से कई बार अध्यक्ष का कार्यभार लेने का आग्रह किया परन्तु उन्होंने हमेशा मना किया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। स्वर्गीय बरेरिया जी का कहना था कि पद लेना आसान है परन्तु उसके दायित्व को निभाना अत्यंत कठिन है। इस अर्थ में बरेरिया जी महान् थे। स्वर्गीय लोहिया जी के विषय में श्री साह ने कहा कि उनका योगदान अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर संवैधानिक मामलों में उनका सुझाव एवं विचार अत्यंत सटीक एवं महत्वपूर्ण होता था।

पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल खेतान ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि चैम्बर के दो बड़े Stalwart चले गये। एक के बाद दूसरा मर्मांतक समाचार मिला और वे अत्यंत बेचैन हो गये। स्वर्गीय लोहिया जी के विषय में उन्होंने कहा कि चैम्बर आने पर पहले वे अपना काम करते थे और उसके बाद ही किसी से बात करते थे। वैट के क्षेत्र में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय बरेरिया जी के लिए उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व महान् था।

श्री डी० बी० गुप्ता ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्व०

शोक सभा में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

बरेरिया जी बड़े उद्योगपति होने के बावजूद Down to Earth थे तथा अत्यंत मिलनसार एवं मृदुभाषी थे। स्वर्गीय लोहिया जी से उनका परिचय 1979 में हुआ जो प्रगाढ़ होता चला गया। वैट कानून पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी तथा वैट कानूनों में जो भी परिवर्तन हुए उसका श्रेय यदि किसी व्यक्ति को है तो वह लोहिया जी हैं।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दोनों ही मेरे चाचा थे तथा मेरे पिता जी के मित्र थे। दोनो का व्यक्तित्व महान था और दोनों की सेवाएं चैम्बर में सदैव यादगार रहेगी।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन जी ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि सभाकक्ष का पूर्ण रूपेण भरा रहना ही इन दोनों के व्यक्तित्व और कीर्तित्व को दर्शाता है। शहर में चारो तरफ जल जमाव के बावजूद भी चैम्बर सदस्य बड़ी संख्या में इन्हें श्रद्धांजंलि अर्पित करने आये हैं। स्वर्गीय बरेरिया जी ने लकी बिस्कुट कंपनी को बिहार में उस समय स्थापित किया जब बिहार में उद्योगों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती थी। स्वर्गीय लोहिया जी वैट के इन्साइक्लोपीडिया थे और उनकी क्षतिपूर्ति असंभव है।

चैम्बर के महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि बिहार के व्यापार एवं उद्योग जगत के दो स्तंभ एक ही दिन चले गये। हमलोग अत्यंत मर्माहत हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसके अतिरिक्त भी कुछ सदस्यों ने दोनो के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दो मिनट का मौन रखकर शोक सभा समाप्त हुई। चैम्बर की ओर से एक शोक प्रस्ताव पारित कर स्वर्गीय लोहिया जी एवं स्वर्गीय बरेरिया जी के सुपुत्रों को भेजा गया।

इंट्री टैक्स पर नए सिरे से हो रहा विचार

• वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव का चैम्बर में हुआ स्वागत
• व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया

वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त सह सचिव ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद ने बताया कि हर सामान पर वैट के समतुल्य इंट्री टैक्स लगाने का प्रस्ताव ई कामर्स को नियांत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका संदेश गलत चला गया। हमारा उद्देश्य कहीं से भी प्रदेश में औद्योगिक माहौल खराब करना नहीं था।

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमश: वाणिज्य-कर आयुक्त डॉ. ई. एल. एस. एन. बाला प्रसाद, अपर आयुक्त श्री एस. के. सिन्हा, श्री के. एन. राय एवं श्री वी. के. दुदानी, संयुक्त आयुक्त श्री उमेश राय एवं अन्य।

इसलिए इंट्री टैक्स के प्रस्ताव को नए सिरे से अध्ययन करने के लिए रोक लिया गया है। वे दिनांक 8 अगस्त 2014 की शाम बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आयेजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

बाला प्रसाद ने बताया कि कल ही वैट रिफंड का प्रस्ताव उद्योग विभाग को भेजा गया है। 230 करोड़ की डिमांड थी, जिसके विरूद्ध विभाग ने करीब 250 करोड़ मांगा है। विभागीय वेबसाइट के संबंध में उन्होंने बताया कि 22 अगस्त की चिंता न करें। कल ही साफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ बैठक होगी। साफ्टवेयर में सुधार के लिए चैम्बर का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने वैट सलाहकार सब कमेटी के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। जिसकी नियमित बैठकें होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स टारगेट को हासिल करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, साथ ही व्यापारियों के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

सदस्यों को संबोधित करते वाणिज्य-कर आयुक्त डॉ. ई. एल. एस. एन. बाला प्रसाद। उनकी दाँयीं ओर क्रमश: चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कु. पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, वैट सब कमिटी के चेयरमैन श्री नवीन कुमार मोटानी, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

इससे पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने आयुक्त का स्वागत करते हुए विस्तृत ज्ञापन पेश किया। जिसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का जिक्र था। इस दौरान उन्होंने प्रपत्र डी-8, 9 मिलने में होने वाली परेशानियों आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि इंट्री टैक्स का एंडजस्टमेंट बड़े उद्योगों को नहीं मिलता है। उन्होंने ई-कामर्स में इंट्री टैक्स लगाने का सुझाव दिया। कहा कि बड़ी तेजी से ई कारोबार देश में 18 हजार करोड़ का हो गया है। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उनका शो रूम ई कामर्स का डिसप्ले शो रूम बन गया है। ग्राहक आता है, मॉडल व दाम देखता है और ऑन लाइन खरीदारी करता है। दवा कारोबारियों ने शिकायत की कि आम तौर पर दवा की बिलिंग अंतिम दिन होती है। 75 हजार रुपये से कम के कई इन्वायस निकलते हैं। अधिकारी सारे इन्वायस की कीमत जोड़कर डी-8 फार्म की मांग करते हैं। इलेक्ट्रानिक गुड्स के कारोबारियों ने भी अपनी समस्याएं आयुक्त के समक्ष रखीं। इस दौरान कई व्यापारियों ने विभिन्न अंचलों में विपत्र मिलने में हो रही परेशानियों का जिक्र किया। इस दौरान वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त के. एन. राय, संतोष कुमार, संयुक्त आयुक्त उमेश राय सहित चैम्बर सदस्य काफी संख्या में अस्थित थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.8.2014)

15 अगस्त 2014 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर के महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा द्वारा चैम्बर प्रांगण में राष्ट्रध्वज फहराकर 68वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण सूचना

सूचित करना है कि वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार के साथ दिनांक 8 अगस्त 2014 को चैम्बर प्रांगण में आयोजित बैठक में चैम्बर के अनुरोध पर वाणिज्य-कर आयुक्त ने प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को अपराह्न 5.00 बजे चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक करने की स्वीकृति दी है।

उक्त आशय का आदेश दिनांक 13-8-2014 को जारी हुआ है। आपसे अनुरोध है कि वाणिज्य-कर विभाग से संबंधित आपकी कोई समस्या या सुझाव हो तो चैम्बर को अवश्य अवगत करायें।

धावा दल समाप्त करने का स्वागत

बिहार ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय स्तर पर गठित धावा दल को समाप्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि उन्हें बराबर पटना के साथ-साथ राज्य के विभिन्न भागों से धावा दल द्वारा बेवजह व्यापारियों को परेशान करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसलिए चैम्बर द्वारा बार-बार वाणिज्य कर विभाग से धावा दल को खत्म करने की मांग की जाती रही थी। उन्होंने बताया कि इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के राजस्व पर भी पड़ रहा था। छोटी-छोटी तकनीकी भूल के आधार पर भी व्यवसायियों को तंग किया जाने लगा था। जबकि बिना कागजात के काम करने वाले लोग सहजता से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चैम्बर लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहा कि राज्य में साफ-सुथरा व्यवसाय हो एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि हो। इसके लिए विभाग द्वारा व्यवसायियों को विश्वास में लेना आवश्यक है।

(साभार : आज, 14.8.2014)

STATES TABLE GST DEMANDS

The State Finance Ministers resolved to lower the threshold for imposing goods and Service Tax (GST) from Rs 25 lakh to Rs 10 lakh. They asked the Centre to include the provision for GST compensation in the Constitutional Amendment Bill.

The empowered committee of state finance ministers on GST, which met today, also recommended to the Centre that states be given the legal powers to collect tax from businesses with an annual turnover of up to Rs 1.5 crore.

About dual control, the empowered committee decided to recommend to the central government that for a threshold of Rs 1.5 crore, the Centre will not interfere in assessment, audit or other matters. It will be left exclusively to states. But officials from the Centre insisted that only administrative control would be given to the states.

"The states insisted that legal powers should also be given to the states to the extent of Rs 1.5 crore so far as CGST is concerned," empowered committee chairman Abdul Rahim Rather told reporters.

The contentious issue of dual control of traders- by both the Union government and state governments- in the GST structure would be that taxpayers with annual turnover of over Rs 1.5 crore would be taxed by the Centre, Which will later disburse to states their share.

Those with a turnover below Rs 1.5 crore would pay their taxes to states, which would subsequently pass on to the Centre its share.

According to the recommendation, GST would not be imposed on businesses with annual turnover of less than Rs 10 lakh. At present, the threshold for value-added tax (VAT) is Rs 10 lakh in most states.

"So far as the threshold is concerned, it was decided that it should be Rs 10 lakh in respect of general category of states and Rs 5 lakh for special category and Northeast states, " Rather said.

As regards the items exempted from the purview of GST, the committee suggested that they should be mentioned in the Constitutional Amendment Bill. States have already told the Centre that items like petroleum and tobacco would be kept out of GST.

On compensation for phasing out of Central State Tax (CST), Rather said Rs 13,000 crore has been pending as on March 2010.

Gujarat finance minister Saurabhbhai Patel urged the empowered committee to take a balanced view in the proposed dual control by both state and central authorities, along with sustainability of states revenues and ease in compliance for small traders while rolling out the GST.

Today was the first meeting of the empowered committee of state FMs after the presentation of Budget by the new NDA government.

The GST rollout has missed several deadlines because of lack of consensus among states over certain crucial issues on the new tax regime.

The GST Will subsume indirect taxes like excise duty and service tax at the central level and VAT on the states front, besides local levies.

Earlier this month, Tamil Nadu chief minister J. Jayalalithaa had written to the Centre that the present GST Bill is unacceptable to the states and also raised concerns on certain aspects.

Rather said Tamil Nadu's concerns are likely to be ironed out with effective compensation mechanism. The GST Constitutional Amendment Bill, which was introduced in the Lok Sabha in 2011, has lapsed and the NDA govt. will be required to come up with a fresh bill.

(Source : The Telegraph, 21.8.2014)

NOD TO SET UP INDUSTRY CABINET

The cabinet gave its nod for setting up" industry cabinet" on the lines of "agriculture cabinet" to spur all-round industrial growth and facilitate private investment.

"The industry cabinet has been set up with a view to developing industries besides identifying the obstacles in setting up units in the state. It would review the rules, policy, business regulation too to spur industrial growth," cabinet department principal secretary Brajesh Mehrotra told reporters in Patna.

The industry cabinet, comprising 17 departments, would be headed by the chief minister while the chief secretary would be its secretary, Mehrotra said.

The 17 departments of industry cabinet are- industries, revenue and land reforms, finance, commercial taxes, labour resources, energy, environment and forest, urban development and housing, registration, excise and prohibition, planning and development, road construction, PHED, information technology, mines and geology, sugarcane, agriculture and tourism.

These departments would be represented by their ministers during the industry cabinet committee meeting.

The objectives of the cabinet committee would be to review rules and policies of various departments in order to promote industries in the state. It would extend direction for giving necessary guidelines for giving clearances and suggestions for setting up industries besides reviewing the obstacles coming in the way for setting up industries. It would resolve the problem and direct the department concerned accordingly.

It would review the rules, policy, business regulation to promote investments in the state and give necessary directions to make them industry friendly. It would also review all types necessary clearances on investment proposals coming through single window.

Bihar Chamber of Commerce and Industries President P. K. Agrawal said: "It is a welcome step. We have been demanding it for quite long lime. It would send a right message among entrepreneurs."

(Source : The Telegraph, 13.8.2014)

TRADE & INDUSTRY BODIES ADOPT CAUTIOUS APPROACH

Even though the much-awaited draft building bylaws has been given an in-principle approval, trade and industry bodies have adopted a cautious stance in welcoming the move. For, they want to have a closer look at the proposed code before taking a stand.

" The bylaws are not available in the public domain as yet. But going by media reports, it appears that the government has adopted a practical approach," said Bihar, Chamber of Commerce and industries President P. K. Agarwal.

However, the Builders Association of India (BAI), which has been relentless in opposing the imposition of an impractical and somewhat crippling building bylaws, is circumspect. "It the concerns and issues raised by us, during our meetings, have been addressed incorporated, we welcome it," said Manikant, national vice president, BAI.

His caution stems from the fact that the association is of the vies that the revised bylaws may not be put in the public domain once again. " But, the decision to revisit the minimum value register rates is a definite step towards boosting the real estate sector, bring relief for commercial property and home buyers and revive their interest, " he said.

Advocating permission for higher and reasonable FAR, BCCI president said the present MVR was still very high, which was an unwarranted burden on both the buyers and sellers due to the incidence of higher stamp duty and capital gains tax.

(Source : Hindustan times, 11.8.2014)

अभी जारी रहेगी वाणिज्यकर की दोनों बेवसाइट

पिछले कुछ दिनों से कारोबारियों के बीच में यह चर्चा जोरों पर थी कि 22 अगस्त से डब्लूडब्लूडब्लू बिहार कॉमर्सियल टैक्स डिपार्टमेंट की साइट को बंद कर दिया जाएगा और विभाग संबंधी सारा काम डब्लूडब्लूडब्लू.सीटीडी.बिहार की साइट पर होगा, लेकिन विभाग ने दोनों वेबसाइट को जारी रखने का निर्णय लिया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अब दोनों साइटों को अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है।

बिहार के बाहर से माल मांगवाने के परमिट डी-9 और रिटर्न भरने से लेकर दूसरे सभी कार्य डब्लूडब्लूडब्लू बिहारकॉमर्सियलटैक्स डिपार्टमेंट पर होता है। राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए जो परमिट जारी किया जाता वह सीटीडी बिहार की साइट से होता है। वाणिज्यकर विभाग की योजना थी कि सभी कार्य सीटीडी बिहार के साइट से भी किया जाए। अब विभाग ने साइट बंद करने की योजना पर पूर्णविराम लगा दिया है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 14.8.2014)**

वाणिज्य कर के दायरे में होगी ऑनलाइन शॉपिंग

ई-कॉमर्स पोर्टल पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान स्थानीय व्यवसायी परेशान

वाणिज्य कर विभाग अपने कर संग्रहण को बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय ढूंढ रहा है। बीते महीने सभी वस्तुओं पर इंट्री टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी, जिसका विरोध सभी व्यापार मंडलों ने किया था। अब विभाग ऑनलाइन शॉपिंग को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आयुक्त सह सचिव डॉ ई. एल. एस. एन. बाला प्रसाद के साथ विभाग के अधिकारियों की टीम विभिन्न आयामों पर विचार कर रही है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो पिछले सप्ताह व्यापारियों का एक विशेष शिष्टमंडल इस पर चर्चा करने के लिए आयुक्त से मिला था। गौरतलब है कि अलग-अलग वस्तुओं के लिए विभाग ने वाणिज्य कर वसूली के लिए अलग-अलग स्लैब बना रखे हैं। कुछ स्लैब 13.5 प्रतिशत के हैं तो कुछ 5 प्रतिशत के। परन्तु जब राज्य में ऑनलाइन पोर्टल के मार्फत सामान मंगाया जाता है तो विभाग के पास टैक्स वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। इससे विभाग को तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, राज्य के व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स द्वारा जारी कीमतें चुनौती बन चुकी हैं।

10-15 प्रतिशत तक कम जाती हैं सामान की कीमतें वाणिज्य कर के दायरे से बाहर रहने के कारण ऑनलाइन पोर्टल्स पर

इन्होंने कहा :

"सरकार को चाहिए कि वह स्पेसिफाइड गुड्स पर टैक्स लगाए। असम सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है और वहां यह नियम लागू है। परंतु लोहा, कोयला सहित तमाम कच्चे माल जो इंडस्ट्री के लिए बेकअप है। उसे टैक्स के दायरे से बाहर ही रखना होगा।" **– पी. के अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

" इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बिजनेस में तेजी से गिरावट आई है। आज के युवा मोबाइल एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पसंद तो शोरूम में करते हैं परंतु खरीदते है ई-कॉमर्स पोर्टल से।" **–नवीन गुप्ता,** सचिव, बिहार इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी ऐसोशिएशन

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.8.2014)

व्यापारी की मौत पर आश्रित को मिलेगा दो लाख का अनुदान

किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु पर राज्य सरकार उसके आश्रित को दो लाख रुपये का अनुदान देगी। यह लाभ निबंधित व्यापारी के आश्रित को ही मिलेगा। निबंधित से मतलब है बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, विद्युत शुल्क अधिनियम, विज्ञापन कर अधिनियम, होटल विलासवस्तु कराधान अधिनियम, स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यापार या किसी बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन निबंधित।

आश्रित कौन? : आश्रित को परिभाषित किया गया है। आश्रित से मतलब है मृतक निबंधित व्यासायी की विधवा या विधुर का आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता। अविवाहित होने की स्थिति में माता-पिता संयुक्त रूप से आश्रित होंगे।

अंचल को देनी होगी सूचना : सर्व प्रथम किसी दुर्घटना में मृत्यु की सूचना संबंधित वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी को दी जाएगी। वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी दावा की जांच कर इसे संपुष्ट करेंगे। **(साभार : दैनिक जागरण, 14.8.2014)**

जश्न में खलल डालेगा कर विभाग !

अगली बार जब आप बड़ी पार्टी का आयोजन करें तो कर विभाग के कर्मियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कर चोरी रोकने के लिए ऐसी पार्टियों, वैवाहिक समारोहों और कार्यक्रमों पर नजर रखें, जो मीडिया में सुर्खियां बनते हैं।

निगरानी के दायरे में : • शादी की बड़ी पार्टियां या कोई और समारोह, जिसकी जानकारी कर विभाग को मीडिया से मिलती है • कर चोरी के संभावित क्षेत्र जैसे निर्माण, रियल्टी और ठेके पर काम, अचल संपत्ति को किराये पर देने के मामले • बिजनेस सपोर्ट सर्विस, जन संसाधन आपूर्ति और सिक्योरिटी सेवाएं, सामान यातायात ऑपरेटर • सरकारी निकाय जैसे रेलवे, डाक विभाग, पुलिस, नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड • म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियां, सामान परिवहन एजेंसियां और विदेश सेवा प्रदाता • आयात सेवाएं या ऐसे, जो नकदी भुगतान के बजाय सेनवैट के जरिये मोटा भुगतान करते हैं। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.8.2014)**

छोटे व्यापारी बैंकों में भी जमा कर सकते हैं टैक्स

वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के छोटे व्यापारियों को एक मुश्त टैक्स जमा करने के लिए सुविधा प्रदान की है। इसके लिए राज्य सरकार की पहल पर बैंकों में भी एक मुश्त टैक्स जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार और बैंकों के बीच एकरारनामा हो गया है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन कर भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को भी प्राधिकृत किया गया है। साथ ही सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, युनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के छोटे व्यापारियों को एक मुश्त टैक्स जमा करने पर कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत एक लाख से अधिक कर भुगतान करने वाले व्यवसायियों के लिए ऑन लाइन निबंधन, रिटर्न दाखिल करने तथा भुगतान की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए पटना, मुजफ्फरपुर दरभंगा, भागलपुर एवं हाजीपुर में सुविधा केन्द्र बनाये गये हैं। वाणिज्य कर विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लघु करदाता व्यवसायी योजना में सकल बिक्री राशि 40 लाख तक है तो वह वर्ष में दो किश्तों में पांच-पांच हजार की राशि जमाकर वैट ऑडिट, विवरणियों की समीक्षा से मुक्ति पा सकेंगे। फिलहाल चार हजार व्यवसायियों द्वारा पहल किये जाने की जानकारी है। ऑनलाइन वैट जमा करने के लिए अंटाघाट, साइबर कैफे, वसुधा केन्द्र, दो सौ सार्वजनिक सेवा केन्द्रों में 25 रुपये शुल्क देकर ई-सेवा का विस्तार किया गया है। विभाग ने कर अपवंचना पर नियंत्रण के लिए कर्मशाला, सोइनपट्टी, जलालपुर तथा दालकोला में पहले ही जांच चौकी चालू कर दी है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.8.2014)**

अब पीपीएफ में निवेश कर सकेंगे डेढ़ लाख सालाना

अब आप भविष्य निधि (पीपीएफ) में सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही आयकर कानून की धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा भी 1.5 लाख रुपए हो गई है। अभी तक यह सीमा एक लाख रुपए सालाना थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इसमें 50, 000 रुपए वृद्धि की घोषणा की थी। पीपीएफ निवेश का बड़ा लोकप्रिय माध्यम है। हालांकि इसमें निवेश पर 15 साल का लॉक-इन होता है, लेकिन टैक्स छूट के कारण यह लंबी अवधि में निवेश का बढ़िया जरिया माना जाता है। यह निवेश ईईई श्रेणी में आता है। यानी निवेश के वक्त, ब्याज और पैसे निकालने तीनों पर टैक्स छूट। साल 2014-15 में पीपीएफ जमा पर 8.7 फीसदी ब्याज मिलेगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 21.8.2014)**

पुराने नोट वापस लेने की तिथि बढ़ी

भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2005 से पहले मुद्रित बैंक नोटों को वापस लेने की अंतिम तिथि एक जनवरी 2015 तक बढ़ा दी है। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि गत जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पहले मुद्रित सभी करेंसी नोटों को 31 मार्च 2014 तक परिचालन से वापस लेने के निर्णय की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ने बाद में इस तिथि को बढ़ाकर एक जनवरी 2015 कर दिया है। **(साभार : आज, 26.7.2014)**

अप्रत्यक्ष कर का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वीकार किया कि अप्रत्यक्ष कर का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, जो 2014-15 के बजट में बढ़कर 6.23 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पहली तिमाही में इसका संग्रह 4.5 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पूरे साल के लिए इसमें 25 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2012-13 और 2013-14 में 4.5 और 4.7 प्रतिशत रही। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 1.1 और 0.7 प्रतिशत रही।

जेटली ने कहा, 'वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए हमने पिछले कुछ महीनों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र और बुनियादी ढांचे में सुधार पर खास जोर दिया है।'

गिरावट के बाद अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत और मई में 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अगर यही रुख आगामी कुछ महीनों तक और जारी रहा तो स्थिति बेहतर रहेगी। उन्होंने सीबीईसी के अधिकारियों से कहा कि वे करदाताओं के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करें।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.8.2014)

FM WIDENS TAX DISPUTE PANEL SCOPE

Finance minister Arum Jaitley expanded the scope of the Tax Settlement Commission to cases where proceedings have already been initiated.

He also said that in order to provide relief to tax payers filing returns late, the Central Board of Direct Taxes will be empowered to exercise discretion in applying penalties.

Jaitley made these announcements while replying to a debate on the finance bill, which was passed by the Lok Sabha

During his reply, Jaitley said his government aimed to bring in a low - tax regime in the years to come. "Ours is not a high-tax government," the finance minister said. " A high-tax government cannot promote business activity, since it will make domestic products non-competitive. High taxes also drive consumers away. Consumers buy products, they don't buy taxes." **(Detail : The Telegraph, 26.7.2014)**

चेक बाउंस हुआ तो जारी होने के स्थान पर ही केस

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में चेक बाउंसिंग के केसों में मुकदमा चलाने के स्थान के लिए कानून बना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंसिंग का केस वहीं दायर होगा जहां से चेक जारी हुआ है, चाहे उसे लेने वाला कहीं भी रहता हो। देश की मजिस्ट्रेट अदालतें चेक बाउंसिंग के 40 लाख से ज्यादा केसों से अटी पड़ी हैं, यह कुल तीन करोड़ लंबित मुकदमों का 15 फीसदी है। लेकिन मौजूदा फैसले के बाद ऐसे केस दर्ज करना काफी कठिन हो जाएगा, जिससे इस आंकड़े में गिरावट आना तय है।

यह फैसला देकर सर्वोच्च कोर्ट ने ऐसे सभी केस चेक जारी होने वाली जगहों की अदालतों में स्थानांतरित कर दिए हैं जो चेक लेने वाले की रिहायश या बिजनेस के स्थान वाली अदालतों में चल रहे थे।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बड़ी बेंच ने दिया है जिसका गठन इस बारे में विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों पर एक एकसमान व्यवस्था देने के लिए किया गया था। जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्ष्यता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि चेक बाउंसिग के केस लाखों (40 लाख से ज्यादा) केस विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं केसों को उचित अदालतों, यानी चेक जारी होने वाली जगह पर क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालतों में भेज रहे हैं जिनमें सम्मन जारी नहीं हुए हैं। जहां सम्मन जारी होने से पहले की बहस और गवाही चल रही है, वे केस चेक जारी होने वाले स्थानों की अदालतों में स्थानांतरित समझे जाएंगे। लेकिन जिसमें सम्मन हो चुके हैं और अभियुक्त पेश (एन आई एक्ट, 1881 की धारा 145.2 की स्थिति) हो चुके हैं, वे केस ज्यों के त्यों चलते रहेंगे।

अब क्या होगा : यदि लखनऊ में रहने वाले व्यक्ति ने दिल्ली के व्यक्ति को लखनऊ ब्रांच के बैंक का चेक दिया है और यह चेक बाउंस हो जाता है। तो दिल्ली वाले व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 136 के तहत चेक बाउंसिंग का केस दिल्ली से लखनऊ आकर दायर करना पड़ेगा।

क्या थी पुरानी व्यवस्था : जारी हुआ चेक किसी भी बैंक की किसी भी शहर की शाखा में दिया जा सकता था और बाउंस होने के बाद लेनदान उस शहर से या अपने रिहायश / कार्यस्थल / बिजनेस मुख्यालय जहां से बाउंसिंग का नोटिस दिया गया है, मुकदमे कर सकता था। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.8.2014)**

बिहार के विकास में भागीदार बनें उद्यमी : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री भीम सिंह ने कहा कि बिहार 15 फीसदी विकास दर के साथ देश का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे बिहार में निवेश कर इसके विकास में भागीदार बनें। राज्य सरकार इसके लिए पूरी मदद उद्यमियों को देगी। वह दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर में आयेजित उद्यमियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उद्योग विभाग ने यह सम्मेलन खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के विकास को लेकर आयोजित किया था। इसमें 70 निवेशकों ने भाग लिया। विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के विकास को लेकर राज्य की नीतियों को विस्तार से रखा। कहा कि इसी क्रम में नई दिल्ली के बिहार भवन में स्पेशल सेल बनाया गया है। श्रेई, फ्रंटियर और अन्य प्रोग्राम एजेंसी ने बिहार में आगे होने वाले 260 करोड़ के निवेश को लेकर सम्मेलन में प्रजेंटेशन दिया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.8.2014)

वित्त निगम व बिसिको देंगे उद्योगों को लोन

बैंकों से उद्योगों को लोन देने में की जा रही मनमानी का इलाज सरकार ने ढूंढ लिया है। बैंक लोन नहीं देंगे तो बिहार इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (बिसिको) और राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) से राज्य के उद्योगों को लोन मिलेगा। इसके लिए सरकार ने दोनों संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की योजना बनायी है।

योजना के अनुसार, दोनों संस्थाएं मार्केट से पैसा उगाह सकती हैं। उम्मीद है कि सरकार उन्हें बाजार में अपना बांड लेकर भी जाने की अनुमति दे सकती है।

बीमार उद्योगों को मिलेगी राहत : राज्य सरकार की योजना से पुराने व बीमार उद्योगों को नया जीवन मिल सकता है। सरकार ने दोनों संस्थाओं को 25-25 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। नए उद्योगों को भी लोन देने के लिए इतनी ही राशि देने का प्लान बना है। वे अपने संसाधन से भी पैसा जुटा सकती हैं। यह सारी व्यवस्था सरकार उद्यमियों की लोन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए कर रही है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कॉरपस फंड बनाने का फैसला पहले ही किया गया है। हालांकि यह फैसला बैंक पर ही निर्भर है। इससे कम सूद पर उद्यमियों को निश्चित रकम मिलेगी। योजना के अनुसार उद्योगपतियों को अपनी लागत के अनुसार बैंक में लोन के लिए आवेदन देना होगा।

बैंक से लोन स्वीकृति होने पर उसका 30 प्रतिशत पैसा सरकार अपने कॉरपस फंड से देगी। शेष 70 प्रतिशत राशि बैंक बतौर लोन देंगे। कॉरपस फंड से मिली राशि पर सरकार मात्र पांच प्रतिशत सूद लेगी। संभव है 30 प्रतिशत की यह राशि भी बैंक से ही मिले। ऐसी स्थिति में सरकार बैंकों को सूद पर अनुदान देगी। लेकिन जो उद्योग बैंक से लोन नहीं लेंगे उन्हें यह मदद नहीं मिल पाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.8.2014)

गांव-गांव पहुंचेगी बिजली

बिहार सरकार ने अगले साल विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले तक राज्य में 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने की ठानी है। इससे लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में काम भी शुरू कर दिया है। इस परियोजना पर राज्य सरकार ने करीब ।। हजार करोड़ रुपये निवेश का फैसला लिया है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.8.2014)**

मेगा फूड पार्क बनाने की शर्तों में ढील देगी सरकार

खेत से खलिहान के रास्ते उपभोक्ता तक पहुंचने में होने वाले भारी नुकसान को घटाने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसी योजना के तहत जल्दी खराब होने वाले कृषि व बागवानी उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने पांच लाख टन क्षमता के कोल्ड स्टोर बनाने का फैसला किया है। इसी तरह मेगा फूड पार्क बनाने की शर्तों में ढील देने पर भी सरकार विचार कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इस संबंध में कैबिनेट से मंजूरी के लिए मसौदा तैयार कर लिया है।

कम होगी बर्बादी : • कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कारगर पहल • पांच लाख टन क्षमता के कोल्ड स्टोर चेन बनाने का कैबिनेट नोट तैयार • मेगा फूड के लिए 50 एकड़ की शर्त को घटाकर 25 करने का प्रस्ताव

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.8.2014)

NEW PLAN TO TAP PLOTS FOR INDUSTRY

Unused land with many government agencies would be transferred to the state indus- tries department to be then offered to expecting entrepreneurs and industrialists.

A recent order by the department states that the Bihar Industrial Area Development Authority (Biada) Which deals with allotment of land for industry, would be given the plots. It would then allot it to waiting industrialists. The department would carry out land transfer in coordination with the revenue and land reforms departments.

(Details : The Telegraph, 12.8.2014)

जमीन नहीं मिलने से नहीं बन रहा पावर सब स्टेशन

राजधानी के लोगों को लो वोल्टेज एवं बिजली कट से मुक्ति दिलाने के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के तहत पांच पावर सब स्टेशन (पीएसएस) बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन छह माह बाद मात्र एक पावर सब स्टेशन बनाने का काम शुरू हुआ है। बाकी चार पावर सब स्टेशन के लिए विद्युत कंपनी अभी तक जमीन ही नहीं खोज पाई है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यहां बनाना है पावर सब स्टेशन : • पटना विवि के आसपास • गांधी मैदान के आसपास • आशियाना नगर के आसपास • ट्रांसपोर्ट नगर में • दानापुर में।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 18.8.2014)

अगले साल पावर कट से राहत

राजधानी की विद्युत संरचना सुधार के लिए री-स्ट्रक्चर पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म प्रोग्राम (आरपीडीआरपी) पर 600 करोड़ की लागत से कार्य चल रहे हैं। इस दौरान जबरदस्त पावर कट होगा। इसके बाद विद्युत आपूर्ति संरचना हाइटेक हो जाएगी। 33 व 11 केवी के फीडरों में फाल्ट पैसेज इंडिकेटर लगेगा। इससे अभियंताओं को फाल्ट ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। सभी आपूति प्रमंडलों में ट्राली पर ट्रांसफार्मर रखा रहेगा। जैसे ही कही ट्रांसफार्मर जलने की सूचना मिलेगी, ट्रैक्टर ट्राली पर लदे ट्रांसफार्मर रवाना कर दिए जायेंगे। सभी पावर सब स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों में एबी स्वीच तथा लाइटिंग अरेस्टर लगेंगे।

पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के पूर्वी अंचल में 1277 तथा पेसू पश्चिम अंचल में 1257 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगेंगे। इसमें से कई नए स्थान तथा कई का इस्तेमाल क्षमता विस्तार में किया जा रहा है। विद्युत कंपनी का प्रयास है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 70 प्रतिशत से कम लोड पर चले ।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.8.2014)

बिहार में बढ़ेगा 100 मेगावाट बिजली उत्पादन

अगले महीने से बिहार में सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। बिहार में अभी मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर की एक यूनिट से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कांटी की दूसरी यूनिट के सितम्बर में शुरू होने के आसार हैं।

बिजली की स्थिति : • 3500 मेगावाट की जरूरत • 100 मेगावाट अपना उत्पादन • 1950 मेगावाट केन्द्रीय कोटा • 600 से एक हजार मेगावाट हर दिन हो रही है खरीद • 2200 से 24 सौ मेगावाट औसतन रोजाना उपलब्धता • 1200 से 16 सौ मेगावाट केंद्रीय कोटा से औसतन उपलब्धता। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 14.8.2014)**

2258 वर्ग किमी होगा पटना प्लानिंग एरिया

सारण व वैशाली को किया जाएगा शामिल, 42.35 लाख की आबादी वाला होगा ग्रेटर पटना

मास्टर प्लान 2031 को अंतिम रूप देने के लिए पब्लिक 'डोमेन पर ले आया गया है। आम लोगों के लिए मास्टर प्लान के आने के बाद 2031 के प्रस्तावित पटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे अधिक चर्चा इसकी प्रशासनिक बांउड्री को लेकर है। पटना प्लानिंग रीजन में पटना के 15 प्रखंडों के साथ-साथ सारण व वैशाली के भी कई प्रखंड शामिल किए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि शहर पर आबादी का दबाव इतना बढ़ गया है कि उन्हें वर्तमान शहर में बसाना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार पटना को प्रयोगशाला के रूप में विकसित करना चाहती है, जहां पर शहरीकरण की गति को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इसके असर को देखने के बाद सरकार आगे की योजनाओ को अंतिम रूप देगी।

ग्रेटर पटना की नई बाउंड्री

जिला	सीड़ी ब्लॉक प्रोजेक्ट एरिया	जिला	सीड़ी ब्लॉक प्रोजेक्ट एरिया
पटना	मनेर आंशिक भाग	दनियावां	आंशिक भाग
दानापुर सह खगौल	पूर्ण भाग	खुसरूपुर	आंशिक भाग
पटना रूरल	पूर्ण भाग	बख्तियारपुर	आंशिक भाग
संपतचक	पूर्ण भाग	अथमलगोला	आंशिक भाग
फुलवारी	पूर्ण भाग	सारण दिघवाड़ा	आंशिक भाग
बिहटा	आंशिक भाग	दरियापुर	आंशिक भाग
नौबतपुर	आंशिक भाग	सोनपुर	आंशिक भाग
मसौढ़ी	आंशिक भाग	वैशाली	हाजीपुर पूर्ण भाग
धनौरा	आंशिक भाग	राघोपुर	पूर्ण भाग
पुनपुन	पूर्ण भाग	बिदुपुर	पूर्ण भाग
फतुहा	आंशिक भाग		

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.8.2014)

नरम होंगे बिल्डिंग बाइलॉज

भवन की ऊंचाई की सीमा 11 मीटर से बढ़कर 12.5 मीटर होगी

राज्य सरकार चौतरफा आपत्तियों के बाद प्रस्तावित बिल्डिंग बाइलॉज के ड्राफ्ट में संशोधन करने जा रही है। सबसे अहम बिन्दू है कि भवनों की उंचाई की सीमा 11 मीटर से बढ़कर 12.5 मीटर हो जाएगी। इस तरह 30 फीट चौड़ी सड़क के किनारे ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर बनाने की इजाजत मिल जाएगी। पहले जी प्लस 4 फ्लोर ही बनाने की इजाजत थी।

नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने 'राष्ट्रीय सहारा' को बताया कि पूर्व में तैयार बिल्डिंग बायलॉज के ड्राफ्ट में रखे गए कड़े प्रावधान से आम लोगों को परेशानी हो रही थी। एक कट्ठे की जमीन या उससे कम जमीन पर भी मकान बनाने के लिए नक्शा की जरूरत थी, किंतु अब नए प्रावधान के तहत कठोर नियम हटा दिए जाएंगे। अब ढ़ाई कट्ठे (300 वर्गमीटर) की जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास करने की जरूरत नहीं होगी। केवल नगरपालिका में सूचना देकर इस तरह के मकान खड़े किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण है कि पूर्व में राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत 30 फीट चौड़ी सड़क पर भी 11 मीटर के ऊंचे बन रहे सभी भवनों/अपार्टमेंटों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। 11 मीटर से ऊंचे भवनों का नक्शा भी तैयार नहीं हो रहा था। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन पुराने ड्राफ्ट में संशोधन कर अब भवनों की ऊंचाई की सीमा 12.5 मीटर कर दी गई है। यानी कि अब पहले से डेढ़ मीटर ऊंची इमारत खड़ी की जा सकता है। मतलब, जी प्लस फाइव फ्लोर तक भवन का निर्माण किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सितंबर 2014 में बिल्डिंग बायलॉज के नए ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में अब 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर

किसी भी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। छोटे व बड़े सभी मकानों के लिए यह नियम लागू होगा। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित पुराने बिल्डिंग बायलॉज के प्रारूप से सभी कठोर प्रावधान हटा दिए जाएंगे। पुराने ड्राफ्ट के तहत नक्शा पास कराना टेढी खीर थी। आर्किटेक्ट को नक्शा बनाने व उसे पास करने का अधिकार मिला था। लेकिन अब इस तरह के पावधान को शिथिल किया गया है। नया बिल्डिंग बायलॉज नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत व सभी महानगर क्षेत्र पर लागू होने वाला था। इसका सीधा मतलब था कि इन क्षेत्रों में मकान या अपार्टमेंट बनाने के लिए बिल्डिंग बायलॉज के कड़े प्रावधानों का पालन करने की बाध्यता होती। दरअसल राज्य सरकार बेतरतीब ढंग से बसे शहरों व मोहल्लों को खूबसूरत बनाने के दृष्टिकोण से नया बिल्डिंग बायलॉज लेकर आई है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.8.2014)

श्रम कानून संशोधन से सुधरेगी श्रमिकों की स्थिति

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने लोकसभा के इस सत्र में कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 पेश किया है जो देश के श्रम कानूनों की सुधार में पहली कड़ी है। इस विधयक में कार्यस्थल पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर गौर करने, कामगारों के लिए सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने की बात शामिल की गई है।

सालाना छुट्‌टी पाने के लिए एक कर्मचारी को जितने दिन काम करना पड़ता है उसमें भी कटौती करने की बात इस विधेयक में की गई है। सामान्य परिस्थितियों में एक तिमाही में 50 घंटे के ओवरटाइम (नियमित समय से अतिरिक्त कार्यअवधि) की समय सीमा को बढ़ाकर 100 घंटे करने जबकि सार्वजनिक हित के लिए राज्य सरकार की अनुमति से एक तिमाही में 125 घंटे के ओवरटाइम की इज़ाजत देने का प्रस्ताव भी इस संशोधन विधेयक में है।

इस विधेयक में कानून के व्यावहारिक पहलू के दायरे को बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी गई है वह इस कानून को लागू करने की सीमा में इजाफा कर सकती है और इसके तहत इसका दायरा ऐसे तय किया जाए कि किसी संस्थान में जहां पहले 10 कर्मचारी बिजली की मदद से और 20 कर्मचारी बिना बिजली के काम करते थे वहीं अब उनकी सीमा बढ़ाकर क्रमश : 20 और 40 कर दी गई है।

मौजूदा कानून की धारा 66 में महिलाओं को फैक्टरियों में रात्रि पाली में काम करने से मना किया गया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के मुताबिक महिलाएं रात्रि पाली में भी काम कर सकती हैं लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि नियोक्ता उनकी पेशेगत सुरक्षा की गांरटी देता हो और उनके घर से आने-जाने के लिए सुरक्षित गाड़ी मुहैया कराने के अलावा यौन शोषण से भी सुरक्षा देना उसकी प्राथमिकता में शामिल हो। दूसरे संशोधन में महिलाओं को सुरक्षित स्थितियों में भारी मशीनरी पर काम करने या उसकी सरम्मत करने की इजाजत दी गई है। इस विधेयक में आंखों की सुरक्षा से इतर रक्षात्मक उपकरणों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।

इस विधेयक में दुर्घटना की स्थिति में किसी मशीनरी के खास हिस्से को मुहैया कराने वाले या निर्माण करने वाले और इसे लगाने वालों के उत्तरदायित्वों के बीच स्पष्ट तरीके से अंतर किया गया है। इसी तरह अगर किसी एक ही परिसर में कई फैक्टरियां चल रही हों और वहां कोई हादसा हो जाता है तब फैक्टरी के प्रबंधक या संचालक की तरह ही उस परिसर के मालिक पर भी समान प्रावधानों के मुताबिक ही मुकदमा चलेगा। ऐसे प्रावधान इमारत के गिर जाने जैसी परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं।

पहले 250 से ज्यादा कामगारों वाली फैक्टरियों को कैंटीन मुहैया कराना होता था लेकिन अब 200 कर्मचारियों वाली फैक्टरियां भी ऐसा करेंगी। वहीं अब रेस्टरूम, लंच रूम आदि की सुविधा भी 150 कर्मचारियों वाले फैक्टरियों के बजाय 75 कर्मचारियों को दिए जाने का प्रावधान है। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.8.2014)**

खत्म होगा 'इंस्पेक्टर राज' !

श्रम मंत्रालय नई निरीक्षण योजना लाने की कर रहा है तैयारी

देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार 'इपेक्टर राज' को खत्म करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय 1 सितम्बर से उदार निरीक्षण योजना शुरू करने जा रही है वहीं 2 अक्टूबर को इसके लिए एकीकृत वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस कदम का मकसद निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के विवेकाधीन अधिकार को खत्म करना है।

श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह कदम एक मिसाल साबित होगी और भारत को बेहतर और आसान कारोबारी देश के तौर पर पेश करने में मदद मिलेगी!' नई व्यवस्था में 40 केंद्रीय कानूनों में से 16 इसके दायरे में आएंगे। इनमें औद्योगिक विवाद कानून 1947 और तीन निरीक्षण से जुड़े कानून-वह क्षेत्र जहां अनिवार्य, वैंकल्पिक या शिकायत के आधार पर निरीक्षण की जरूरत है, शामिल होंगे। अधिकारी ने बताया कि इसके जरिये निरीक्षकों के हस्तक्षेप को भी कम किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का निरीक्षण मुख्य श्रम आयुक्त और खनन सुरक्षा महानिदेशालय के दायरे में आता है, जिसे नई योजना के तहत लाया जाएगा।

आसान होगा कारोबार : • 1 सितम्बर से उदार निरीक्षण योजना शुरू करने की तैयारी • 2 अक्टूबर को पेश होगा एकीकृत पोर्टल • निरीक्षकों के विवेकाधीन अधिकार होंगे खत्म, बढ़ेगी जवाबदेही • श्रम कानूनों के तहत वेवजह परेशान नहीं होंगे कारोबारी • शुरूआती दौर में 16 केंद्रीय कानून आएंगे इसके दायरे में • गंभीर परिस्थिति में ही होगा निरीक्षण। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.8.2014)**

प्रति व्यक्ति आय

राज्यवार (₹)	2012–13	2013–14
अखिल भारत	67839	74380
दिल्ली	192587	219979
सिक्किम	151395	176491
चंडीगढ़	141026	156951
पॉण्डिचेरी	114034	148784
हरियाणा	119158	132089
महाराष्ट्र	103991	114392
तमिलनाडू	98628	112664
अडमान-निकोबार	97687	107418
उत्तराखंड	92191	103349
पंजाब	84526	92638
हिमाचल प्रदेश	83899	92300
आंध्र प्रदेश	78958	88876
अरुणाचल प्रदेश	76218	84869
कर्नाटक	76578	84709
नागालैंड	70274	77529
प. बंगाल	61352	69413
राजस्थान	59097	65098
जम्मू-कश्मीर	52250	58593
मेघालय	52090	58522
छत्तीसगढ़	52983	58297
उड़ीसा	49241	54241
मध्य प्रदेश	44989	54030
असम	40475	46354
झारखंड	40238	46131
उत्तर प्रदेश	33616	37630
बिहार	**27202**	**31229**

गोआ, गुजरात, केरल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के आंकड़ें तथा तेलंगाना के पृथक अनुमान उपलब्ध नहीं। (साभार : राष्ट्रीय सहारा 12.08.2014)

नए ई-मेल आईडी के लिए फोन नंबर होगा अनिवार्य

विश्व के सबसे लोकप्रिय मुफ्त ई-मेल प्रदाताओं जी मेल और याहू ने नया ई-मेल बनाने के लिए फोन नंबर अनिवार्य कर दिया है। ई-मेल प्रदाताओं ने स्पैम संदेश रोकने के प्रयास में यह कदम उठाया है। अब नई ई-मेल आईडी बनाने के इच्छुक लोगों को फोन नंबर देना होगा, जिसका उपयोग जीमेल और याहू द्वारा सत्यापन के लिए किया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.8.2014)**

भारत सरकार
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय,
तृतीय तल एनेक्सी भवन, केन्द्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना।
व्यापार सूचना - 01/2014-15 दिनांक :- 21-08-14

विषय :- Requirement to provide records for audit - Reg.

Instances have come to the notice of this office that certain Central Excise / Service Tax assesses have denied access to their records/documents to the field Audit parties deputed by AG (Audit), Bihar.

Attention of the trade, industry and all concerned is invited to the provisions under Rule 22 of the Central Excise Rules, 2002 and Rule 5A of the Service Tax Rules, 1994 by which every assesses is required to make available all records as prescribed in the said rules to the Audit party deputed by the Commissioner or the CAG of India. Not making available the records will attract penal provisions as prescribed in Central Excise Act, Finance Act, 1994 and the rules made thereunder.

All the trade Association / Chamber of Commerce /Member of RAC (both organized and SSI) falling within the jurisdiction of this Commissionerate of Central Excise & Service Tax, Patna, are requested to bring the contents of this trade notice to their constituent members and all concerned.

ह०/-
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, पटना

महत्वपूर्ण सूचना

बिहार सरकार, उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 3448 दिनांक 14.8.2014 द्वारा सूचित किया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्रय में अधिमानता देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू की गई है। इस सन्दर्भ में सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 भी लागू है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के हित में प्रावधानों को प्रभावित ढंग से लागू कराने के लिए परामर्शदातृ समिति का गठन किया गया है। इस परामर्शदातृ समिति में अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सदस्य मनोनीत किया गया है।

अब रेलवे स्टेशन के बाहर भी मिलेंगे आरक्षण टिकट

• खोले जायेंगे यात्री टिकट सुविधा केन्द्र, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी • यूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की तीन सदस्यीय टीम करेगी एजेंसी का चयन • अनारक्षण टिकट भी मिलेंगे • 13 घंटे चलेगे काउंटर • यात्रियों को नहीं देनी होगी अलग से कोई राशि। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 12.8.2014)**

चीनी– खाद्य तेल निदेशालयों का विलय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेस' पर अमल करते हुए खाद्य मंत्रालय ने अपने तहत आने वाले चीनी निदेशालय व खाद्य तेल निदेशालय का आपस में विलय कर दिया है।

अमल : • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेस' के तहत किया गया विलय • नए निदेशालय का नाम चीनी व वनस्पति तेल महानिदेशालय होगा। **(साभार : हिदुस्तान, 19.8.2014)**

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बिना पास नहीं होगा नक्शा

नए मकान बनाने के लिए अगर नक्शा पास करखाना है, तो उसमें अनिवार्य रूप से रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मकान का नक्शा ही पास नहीं होगा। पटना के लिए आ रहे नये मास्टर प्लान में इस आशय की व्यवस्था की जा रही है। जल प्रबंधन व नदियों के पुनर्जीवन पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह बात कही। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.8.2014)**

F.No 133/24/2014-TPL
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
***

Room No. 147, B-II, North Block
New Delhi, the 20th August, 2014

Order Under Section 119 of the Income-tax Act, 1961

In exercise of power conferred by section 119 of the Income- tax Act ('the Act'), the Central Board of Direct Taxes (CBDT) hereby extends the due date for obtaining and furnishing of the report of audit under section 44 AB of the Act for Assessment Year 2014-15 in case of assessees who are not required to furnish report under section 92E of the Act from 30th day of September, 2014 30th November, 2014.

2. In is further clarified that the tax audit report under section 44AB of the Act filed during the period from 1st April, 2014 to 24th July, 2014 in the pre-revised Forms shall be treated as valid tax audit report furnished under section 44 AB of the Act.

(J. Saravanan)
Under Secretary (TPL- III)

दवा दुकान का लाइसेंस घर बैठे मिलेगा

प्रदेश में दवा दुकानों के लाइसेंस के लिए अब औषधि नियंत्रण विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब घर बैठे ही लाइसेंस मिल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर ड्रग लाइसेंस का ऑप्शन जोड़ा गया है।

• ऑनलाइन आवेदकों को एसएमएस से सूचना • 41 हजार दवा दुकानें फिलहाल प्रदेश में • 50 हजार से अधिक दुकानों की जरूरत • स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर ड्रग लाइसेंस के आवेदन का ऑप्शन जोड़ा गया • सितम्बर से शुरू होगी नई व्यवस्था, इसी माह ड्रग इंस्पेक्टरों को दी जाएगी ट्रेनिंग। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.8.2014)**

ओवरलोडिंग रोकने को लगेगी वेइंग मशीन

परिवहन विभाग ओवरलोडिंग रोकने के लिए एनएच पर स्थित राज्य के सभी के सभी छह चेकपोस्ट डोभी (गया), रजौली (नवादा), कर्मनाशा (कैमूर), जलालपुर (गोपालगंज), बक्सर व दालखोला (पूर्णिया) जांच चौकियों पर वेइंग मशीन (वजन करने वाली मशीन) लगाएगा। इसके अलावा मनेर, बिहटा, फतुहा व पटना ट्रांसपोर्ट नगर में भी वेइंग मशीन लगेगी।

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने बताया कि सभी चेकपोस्टों पर वेइंग मशीन लगने से ओवरलोडेड वाहनों को पकड़ने में मदद मिलेगी। वेइंग मशीन लगाने का जिम्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दिया गया है। चेकपोस्टों के दोनों ओर चार वेइंग मशीनें लगेंगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.8.2014)**

बिहार में ही होगा जहाजों का रजिस्ट्रेशन

गंगा जल मार्ग को विकसित कर इसमें यात्री तथा मालवाहक जहाजों का परिचालन सामान्य रूप से कराने के लिए जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रयास तेज कर दिया है। राज्य सरकार भी इसमें विशेष रूचि ले रही है। गायघाट स्थित राष्ट्रीय अन्तरदेशीय संस्थान पहुंचे परिवहन विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने बातचीत में कहा कि जहाजों के सफल व सुरक्षित परिचालन, जल मार्ग से व्यापार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक आइवी एक्ट बन चुका है। इसी एक्ट के तहत जहाजों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.8.2014)**

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296